



82659 - उसने सूद पर आधारित कर्ज लिया और अपने भाई को हज्ज करने के लिए दे दिया

प्रश्न

किया। मेरा बैंक में कुछ पैसा था, किंतु मैं ने उसे सुरक्षित रखना पसंद किया, क्योंकि मैं डर रही थी कि मुझे उसकी और अधिक महत्वपूर्ण चीजों में ज़रूरत पड़ सकती है। अतः मैं ने बैंक से कर्ज लेकर अपने भाई की मदद कर दी। मेरा प्रश्न यह है कि उस भलाई के करने का हुक्म क्या है जो मैं ने करनी चाही है ? और क्या मुझे इसमें कोई पुण्य मिलेगा ? या चूँकि बैंक से कर्ज लेना हाराम है इसलिए इस काम में मुझे कोई नेकी नहीं मिलेगी ? और मेरे भाई के हज्ज के बारे में क्या हुक्म है, क्या वह सही है जबकि वह पैसे के स्रोत के बारे में ज़िम्मेदार नहीं है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

हज्ज की अदायगी में भाई या किसी और की मदद के लिए पैसा खर्च करना नेकी के महान कार्यों में से है ; क्योंकि यह इस महान आज्ञाकारिता की अदायगी पर मदद करना है, जिस पर पदों को ऊँचा करना और पापों को मिटाना निष्कर्षित होता है। लेकिन यह जायज़ नहीं है कि यह मदद आपके अल्लाह तआला की हाराम की हुई चीज़ में पड़ने का कारण बने, जैसे कि सूदी बैंक से कर्ज लेना, क्योंकि सूद का मामला बहुत गंभीर है, और इसके बारे में ऐसी धमकी और चेतावनी आई है जो इसके अलावा गुनाहों और अवहेलनाओं में नहीं आई है।

तथा इसकी जानकारी के लिए प्रश्न संख्या (6847) और (9054) देखें।

आपको चाहिए कि सूद का लेनदेन करने से अल्लाह के समक्ष पश्चाताप (तौबा) करें।

तथा इस बात को भी अच्छी तरह जान लें कि सूदी बैंक में पैसा जमा करना जायज़ नहीं है सिवाय इसके कि आपको पैसे पर भय हो और कोई इस्लामी बैंक मौजूद न हो, और उस समय ज़रूरी है कि आप ऐसे खाता में पैसा जमा करें जो सूद वाला न हो। क्योंकि शरीअत के प्रमाणित नियमों में से है कि: “ज़रूरतें निषिद्ध चीज़ों को वैध कर देती हैं।” और यह नियम भी है कि: “ज़रूरत का अनुमान ज़रूरत की सीमा तक ही किया जाएगा।”



दूसरा :

आपके भाई का हज्ज इन शा अल्लाह सही (मान्य) है, क्योंकि उसने आप से वैध तरीके से पैसा लिया है, अर्थात या तो दान के रूप में, या उपहार के तौर पर या अच्छे कर्ज के रूप में।

कुछ विद्वान इस बात की ओर गए हैं कि वह धन जिसे इन्सान ने हराम (निषिद्ध) तरीके - जैसे सूद - से कमाया (प्राप्त किया) है, वह केवल उसके अर्जित करने वाले पर हराम है, और उस व्यक्ति पर हराम नहीं है जिसने इसके बाद उससे वैध तरीके से लिया है जैसे बिक्री, उपहार और इसके समान अन्य चीजें। तथा प्रश्न संख्या (45018) के उत्तर में इसका वर्णन हो चुका है।

अतः निषेध का हुक्म इस बात पर लागू होता है कि आप ने सूद पर कर्ज लिया है, आपके भाई पर लागू नहीं जाता है।

अल्लाह तआला हमें और आपको उस चीज की तौफीक प्रदान करे जिससे वह प्यार करता है और प्रसन्न होता है।